न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः—205 / 2025

प्रार्थीः—

ताराचन्द उर्फ ताराराम पुत्र दलाराम जाति सुथार निवासी राखी तहसील समदड़ी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदड़ी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—श्री हीराचंद सुथार
प्रार्थी वकील

—:: आदेश ::— दिनांक :—17.10.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत पेश किया है। संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 41 रकबा 05.9084 हैक्टेयर ग्राम राखी तहसील समदड़ी में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात—यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, वैंक डायरी में उसका वास्तविक नाम ताराचन्द पुत्र दलाराम ही अंकित है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ताराचन्द पुत्र दलाराम के स्थान पर ताराराम पुत्र दलाराम लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदड़ी के पत्र कमांक—ग्रा.से.शि. / 2025/05 दिनांक 16.10.2025 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य [illegible] आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, वैंक डायरी आदि प्रस्तुत किए।

दौराने बहस प्रार्थी [illegible] कि उनका वास्तविक [illegible] ताराचन्द पुत्र दलाराम है, किन्तु विवादित [illegible] भूमि में प्रार्थी का त्रुटिवश [illegible] ताराराम पुत्र दलाराम लिख दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:35:17 IST
Reason: SelfAttested

सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक डायरी आदि दस्तावेजात में उनका नाम ताराचन्द पुत्र दलाराम दर्ज है। तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ताराचन्द पुत्र दलाराम होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम राखी तहसील समदड़ी के खसरा संख्या 41 रकबा 5.9084 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम 'ताराराम पुत्र दलाराम' के स्थान पर 'ताराचन्द पुत्र दलाराम' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदड़ी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 17.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:35:17 IST
Reason: SelfAttested